वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report 2017-18

ORIENTAL BANK OF COMMERCE
75
Years of Excellence
(1943-2018)

ओ.बी.सी.

ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स
Oriental Bank of Commerce

विषयसूची / Contents

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश Managing Director & CEO's Message	1-4
निदेशक मंडल एवं शीर्ष प्रबंधन वर्ग Board of Directors and Top Management Team	5-6
सूचना Notice	7-16
निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	17-20
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण Management Discussion and Analysis	21-38
बासेल III के अंतर्गत पिलर III का प्रकटन - मार्च, 2018 Pillar III Disclosures under Basel III - March, 2018	39-86
कम्पनी अभिशासन Corporate Governance	87-124
कारोबार दायित्वता रिपोर्ट Business Responsibility Report	125-141
तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा Balance Sheet and Profit & Loss Account	142-143
लेखा टिप्पणियां 1-18 Schedules 1-18	144-200
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	201-203
नकदी प्रवाह विवरणी Cash Flow Statement	204-205
फॉर्म Forms	

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश
Managing Director & CEO's Message

प्रिय शेयरधारकों,

आपके बैंक की 24वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूं।

इससे पूर्व कि मैं बैंक के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत करूं, मैं आपके समक्ष उस व्यापक आर्थिक परिवेश की चर्चा करना चाहूंगा जिसमें वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपके बैंक ने कार्यनिष्पादन किया है।

आर्थिक पृष्ठभूमि

वित्तीय वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर मुख्यतः प्री-जीएसटी झटकों और विमुद्रीकरण के प्रभाव के कारण 5.7% ही रही। उसके पश्चात् वित्तीय वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 6.5%, तीसरी तिमाही में 7.2% तथा चौथी तिमाही में 7.7% के जीडीपी विकास के साथ अर्थव्यवस्था में सुधार आया।

सरकार 2017-18 के लिए जीडीपी के 3.53% तक राजकोषीय घाटे को सीमित रखने में सफल रही है, जो व्यापक रूप से संशोधित लक्ष्य के अनुरूप है। जनवरी-मार्च तिमाही हेतु सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) एक वर्ष पूर्व के 6% से बढ़कर 7.6% आंकी गयी है। विनिर्माण क्षेत्र की जीवीए विकास दर एक वर्ष पूर्व के 6.1 प्रतिशत से बढ़कर चौथी तिमाही में 9.1 प्रतिशत रही। इसी प्रकार से, निर्माण क्षेत्र में भी एक वर्ष पूर्व के 3.9 प्रतिशत के संकुचन की तुलना में चौथी तिमाही में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी । विशेषत: सेवा, रियल एस्टेट, उपभोक्ता टिकाऊ तथा सहायक कृषि गतिविधियों के क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर रहा। डिजिटल भुगतान क्रांति से क्रेडिट संवितरण के तरीकों में भारी परिवर्तन अपेक्षित है।

बुनियादी ढ़ांचे में अधिक व्यय, परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन, समाधान, उदय, उद्यमीमित्र, टीआरईडीएस (प्राप्य डिस्काउंटिंग प्लेटफार्म) तथा निरंतर सुधार से विकास को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। अत:, बैंकिंग क्षेत्र सशक्त विकास के लिए तैयार है क्योंकि तेजी से बढ़ता हुआ कारोबार अपनी क्रेडिट आवश्यकताओं के लिए बैंकों की ओर रुख करता है।

बैंकिंग स्पेक्ट्रम क्षेत्र में, वर्ष के दौरान आस्ति पोर्टफोलियो में दबाव जारी रहा और बैंकिंग क्षेत्र का सकल एनपीए मार्च -17 के 9.59% से बढ़कर दिसंबर -17 में 10.41% हो गया। हालांकि, इस अवधि के दौरान कुल अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में मानक पुनर्संरचित अग्रिम 2.45% से घटकर 1.49% हो गए। वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कई बड़े कॉरपोरेट एनपीए खातों को दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत एनसीएलटी को प्रेषित किया गया था।

Dear Shareholders,

I have great pleasure in welcoming you all to the 24th Annual General Meeting of your Bank and present the Annual Report for the year ended 31st March 2018.

Before I present the performance highlights of the bank, I would like to place before you the general macroeconomic environment within which your bank has performed in FY17-18.

ECONOMIC BACKGROUND

The GDP Growth of the country in Q1 FY 2017-18 was 5.7%, largely because of pre-GST jitters and lingering affect of demonetization. The economy recovered thereafter with GDP growth of 6.5% in Q2, 7.2% in Q3 and 7.7% in Q4 FY 2017-18.

The Government has managed to restrict the fiscal deficit for 2017-18 at 3.53% of the GDP, broadly in line with the revised target. Gross Value Addition (GVA) for January-March quarter has been pegged at 7.6% up from 6% a year ago. Manufacturing sector GVA grew at 9.1 per cent in fourth quarter up from 6.1 per cent year ago. Similarly Construction sector grew at 11.5 per cent in fourth quarter compared to a contraction of 3.9 per cent year ago. The performance has been good more particularly in Service, Real Estate, Consumer Durables and Allied Agriculture. The digital payment revolution is expected to trigger massive change in the way credit is disbursed.

Enhanced spending of infrastructure, speedy implementation of projects, SAMADHAN, UDAY, Udaymimitra, TReDS (Receivables Discounting Platform) and continuous reform are expected to provide further impetus to growth. So Banking Sector is poised for robust growth as the rapidly growing business turn to banks for their credit needs.

In Banking Spectrum sector, the stress in the asset portfolio continued during the year and the Gross NPA of Banking sector increased from 9.59% in March-17 to 10.41% in Dec-17. However, the standard restructured advances as percentage of gross advances decreased from 2.45% to 1.49% during this period. During FY 2017-18, a number of Large Corporate NPA accounts were referred to NCLT under Insolvency and Bankruptcy Code.

इसके अतिरिक्त, बढ़ती हुई बांड आय, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति तथा रुपये की कीमत में गिरावट, वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं।

अब मैं, आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु बैंक के कारोबार की विशेषताएं प्रस्तुत करना चाहूंगा:-

कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं

- बैंक ने व्यापार को कम करने और व्यापार के संचालन को अनुकूलित करने, पूंजी बचाने, नियामक पूंजी बनाए रखने और पीएसबी सुधार एजेंडे को अपनाने के लिए गुणवत्ता वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक सुनियोजित कदम उठाया है ।
- कुल कारोबार मार्च 2017 के ₹3.85 लाख करोड़ की तुलना में मार्च 2018 में ₹3.55 लाख करोड़ रहा। कुल जमाराशियां तथा अग्रिम क्रमश: ₹2.07 लाख करोड़ एवं ₹1.48 लाख करोड़ रहे।
- बैंक के अग्रिमों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर (10.95%) की कमी रही, जबकि पूंजी अनुकूलित विकास के कारण क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियों में (18.13%) की गिरावट दर्ज की गई तथा जोखिम प्रभावोत्पादकता पर बैंक के ध्यान को दर्शाते हुए सकल अग्रिमों के प्रति क्रेडिट जोखिम भारित आस्तियों में मार्च 2017 के 79% की तुलना में मार्च 2018 में 73% की गिरावट दर्ज की गई।
- बैंक की रणनीति अब गुणवत्ता क्रेडिट वृद्धि और लागत अनुकूलन करना है तथा केवल खुदरा ऋण एवं कासा जमा पर ध्यान केंद्रित करना है तथा खुदरा ग्राहक आधार (विभेदन रणनीति का हिस्सा) को सशक्त बनाना है। बैंक अपने खराब जोखिम रेटिड कॉरपोरेट क्रेडिट और उच्च लागत की जमाराशियों को कम कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 17% की वृद्धि हुई और कॉरपोरेट बुक में 8.47% की कमी आई और अब हमारी कुल आस्तियों में कॉरपोरेट बुक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मार्च -17 में 52.15% की तुलना में घटकर मार्च -18 में 49.40% हो गई।
- जमाराशियों पर लागत वित्तीय वर्ष 2017 में 6.33% की तुलना में कम होकर 5.67% हो गई। कासा प्रतिशत मार्च 17 में 30.50% से बढ़कर मार्च 18 में 31.68% रहा।
- बैंक का ग्राहक आधार वित्तीय वर्ष 18 में 3.35% वृद्धि दर्ज करते हुए 2.27 करोड़ हो गया।
- डिजिटल बैंकिंग लेन-देन वित्तीय वर्ष 17 के 53.45% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 18 में 63.05% रहा।
- बैंक के प्रावधान कवरेज अनुपात में 31.03.2017 के 53.61% की तुलना में सुधार होकर 31.03.2018 को 64.07% हो गया।
- गैर ब्याज आय में सुधार लाने के लिए अलग-से शुल्क आधारित आय वर्टिकल की स्थापना की गई है।

भारत सरकार द्वारा पूंजी प्रदान करना

वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही के दौरान, भारत सरकार ने ₹3571 करोड़ की इक्विटी में निवेश किया। तदनुसार, भारत सरकार की शेयरहोल्डिंग 58.38% से बढ़कर 77.23% हो गई है। इस अवधि के दौरान, "नियामक इवेंट" के विकल्प का उपयोग करके बैंक द्वारा ₹3000.00 करोड़ के एटी-1 बॉन्डस को रिडीम किया गया था। इन बॉन्ड्स की कूपन दर 9.52% से 10.50% थी।

त्वरित कार्य योजना

गैर निष्पादनकारी आस्तियों के बढ़ते स्तर के कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) फ्रेमवर्क के तहत रखा गया था।

Further increasing bond yields, higher crude prices, rising inflation and depreciating rupee are posing bigger challenges to the present economic scenario.

Now, I would like to present before you the business highlights of the Bank for the FY17-18:-

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Bank has taken a conscious call to downsize the business and focus on quality growth to optimize business operation, conserve capital, maintain regulatory capital and adoption of PSB reforms agenda.
- Business Mix as on March-18 stood at ₹3.55 lac Cr as against ₹3.85 lac Cr as on March-17. Total Deposits and advance stood at ₹2.07 lakh Cr and ₹1.48 lakh Cr respectively.
- Bank advance has declined by (10.95%) on y-o-y basis while the Credit Risk Weighted Assets have declined by (18.13%) due to capital optimized growth and Credit risk weighted assets to gross advance declined to 73% in Mar-18 compared to 79% in March-17 reflecting bank's focus on optimizing risk efficiency.
- Bank's strategy is now quality credit growth and cost optimization and focus only Retail lending and CASA deposit and strengthen retail customer base (Part of differentiation strategy). Bank is shredding its poor risk rated corporate and high cost deposits. During FY 2017-18, Bank's retail portfolio increased by 17% Y-o-Y and Corporate book declined by 8.47% and now our corporate book to total asset reduced to 49.40% in Y-o-Y March-18 against 52.15% in Mar-17.
- The cost of deposit reduced to 5.67% compared to 6.33% in FY 2017. CASA percentage increased from 30.50% in March-17 to 31.68% in March-18.
- Customer base of the Bank increased by 3.35% in FY18 to 2.27 Crore.
- Digital Banking Transactions increased from 53.45% in FY17 to 63.05% in FY18.
- Provision Coverage Ratio of the bank has improved to 64.07% as on 31.03.2018 from 53.61% as on 31.03.2017.
- A separate fee based income vertical has been created to improve non interest income.

CAPITAL INFUSION BY GOI

During Q4 FY 2017-18, the Government of India infused equity of ₹3571 crores. Accordingly, Government of India shareholding has increased from 58.38% to 77.23%. During this period, AT-1 bonds of ₹3000.00 Cr were redeemed by the bank by exercising the option of "Regulatory Event". The said bonds were having Coupon Rate of 9.52% to 10.50%.

PROMPT ACTION PLAN

The Bank was put under Prompt Corrective Action (PCA) Framework by Reserve Bank of India due to increasing level of Non Performing

पीसीए से बाहर आने के लिए, बैंक ने सुपरिभाषित रोड मैप की योजना बनाई है और अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

1. क्रेडिट वृद्धि के लिए बैंक रिटेल, कृषि कारोबार तथा एमएसएमई(आरएएम) क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो में वर्ष-दर-वर्ष 17% की वृद्धि हुई है।

2. कम जोखिम वाले अग्रिमों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए बैंक पूंजी संकेन्द्रित वृद्धि पर जोर देता रहा है।

3. बैंक समाधान एवं वसूली के लिए अपने प्रयासों को चैनलीकृत कर रहा है। इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में कई बड़े कॉरपोरेट खातों के दिवाला एवं दिवालियापन कोड के तहत समाधान की आशा है जिससे बैंक के एनपीए अनुपात एवं लाभप्रदता में वृद्धि होगी। ऐसे एक बड़े खाते अर्थात् भूषण स्टील का समाधान पहले ही पूर्ण कर लिया गया है जिसमें कंपनी का अधिग्रहण टाटा स्टील ने कर लिया है। अन्य खातों का समाधान हो रहा है और चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में इनके पूर्ण होने की आशा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख परिवर्तन

- वित्तीय वर्ष 2017-18 में बड़े कॉरपोरेट एनपीए खातों के समय से और त्वरित समाधान के लिए ऋणप्रदाताओं ने दिवाला और दिवालियापन कोड, 2016 का व्यापक प्रयोग किया है। ₹12290 करोड़ के एक्सपोजर के 100 एनसीएलटी खातों (भारतीय रिजर्व बैंक की सूची I एवं II तथा अन्य बैंकों द्वारा दायर मामलों सहित) में समाधान हो रहा है।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने 12.02.2018 को "दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान" पर दिशानिर्देश जारी किए हैं और समाधान की सभी पुरानी योजनाएं यथा दबावग्रस्त आस्तियों के पुनःउद्धार के लिए तंत्र, कॉरपोरेट ऋण पुनर्गठन योजना, चालू दीर्घावधि परियोजना ऋणों का लचीला गठन, ऋण पुनर्गठन कार्यशील योजना (एसडीआर), एसडीआर से इतर स्वामित्व में परिवर्तन, तथा दबावग्रस्त आस्तियों का धारणीय गठन योजना (एस4ए) समाप्त कर दी हैं।

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के एक बैंक में एलओसी/ क्रेता ऋण जारी करने संबंधी एक बड़ी राशि की धोखाधड़ी हुई थी जिसमें इन लिखतों को कोर बैंकिंग सिस्टम में दर्ज किए बिना ही जारी किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए बैंक ने ऐसे परिचालनगत जोखिम के मामलों की संभावनाओं को कम करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण उपाय किए हैं।

क्षमता निर्माण

प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैंक के छह मानव संसाधन विकास संस्थानों में उच्चस्तरीय अधिसंरचना उपलब्ध है जहां केस स्टडी और प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सीखने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इसके अलावा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु प्रतिष्ठित प्रबंधन संगठनों यथा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एमडीआई) गुरुग्राम, नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (एनआईबीएम),नेशनल इस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्टडीज एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट (निब्सकॉम), सदर्न इण्डिया बैंक्स स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेड, बेंगलुरु (एसआईबीएसटीसी) में भेजा जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान 85248 प्रशिक्षण दिवसों में 22501 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम

बैंक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम को कारोबार अवसर के रूप में देखता है और अपने ग्राहक आधार को विस्तृत एवं व्यापक करने के लिए इसका लाभ उठाता है। दि.16.08.2014 को प्रधान मंत्री जन-धन योजना की शुरुआत से लेकर बैंक ने ऐसे 42.44 लाख खाते खोले हैं जिनमें कुल 4405 करोड़ रुपये की जमाराशियां हैं। बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 85240 खाते स्वीकृत किए

Assets. To come out of PCA, the bank has planned a well defined road map and is taking decisive actions to improve its performance. Some of the highlights in this regard are as under:

1. The bank has been focusing on Retail, Agri Business and MSME (RAM) Sectors for credit growth. During FY 2017-18 the retail portfolio of the bank increased by 17% on y-o-y basis.

2. The bank has been concentrating of Capital Optimized growth by focusing on low credit risk weight advances.

3. The bank has been channelizing its efforts for Resolution and Recovery. Moreover, the resolution of many large corporate accounts under Insolvency and Bankruptcy Code is expected in current FY 2018-19 which will improve NPA ratios and profitability of the bank. The resolution of one such large account i.e. Bhushan Steel Limited has already been completed wherein the company has been taken over by Tata Steel Limited. The resolution of other accounts is under progress and the same are expected during current FY 2018-19.

MAJOR CHANGES IN FY 2017-18

- FY 2017-18 witnessed extensive use of Insolvency and Bankruptcy Act 2016 by the lenders for timely and swift resolution of large corporate NPA accounts. Resolution is under process in 100 NCLT accounts (including List I & II of RBI and case filed by other banks) having exposure of ₹12290 crores.

- Reserve Bank of India has issued guidelines for "Resolution of Stressed Assets" on 12.02.2018 and has withdrawn all earlier resolution schemes i.e. Framework for Revitalizing Distressed Assets, Corporate Debt Restructuring Scheme, Flexible Structuring of Existing Long Term Project Loans, Strategic Debt Restructuring Scheme (SDR), Change in Ownership outside SDR, and Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A).

- During FY 2017-18, there was a large value fraud pertaining to issuance of LOC/Buyer's Credit in one of the Public Sector Banks wherein these instruments were issued without making the entry in the core banking system. In the light of same, the bank has taken adequate internal control measures to mitigate the possibility of any such operational risk events.

CAPACITY BUIDLING

The bank has state of the art infrastructure for imparting training in its six HRDIs where the focus is on learning through case studies and presentations. Apart from same, the employees are sent for training to reputed management organizations like Management Development Institute (MDI) Gurugram, National Institute of Banking and Finance (NIBM), National Institute of Banking Studies and Corporate Management (NIBSCOM), Southern India Banks' Staff Training College Bangalore (SIBSTC). During FY 2017-18, training was given to 22501 participants constituting 85248 man days.

FINANCIAL INCLUSION PROGRAMME

The bank takes the Financial Inclusion programs as business opportunity and leverages this to increase and diversify its customer base. Since the launch of Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojna on 16.08.2014, the bank has opened 42.44 lakhs such accounts and which have aggregate deposits of Rs 4405 crores. Under Pradhan

हैं और वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹2341.18 करोड़ की राशि संवितरित की है। बैंक ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 39.82 लाख नामांकन किए हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने अटल पेंशन योजना में 1,37,744 खाते खोले हैं।

भावी योजना

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, हमारा मुख्य उद्देश्य गैर-निष्पादक आस्तियों के समाधान एवं वसूली तथा स्लीपेज को रोकना होगा। बैंक को ऐसे खातों में समाधान की आशा है जिन्हें गत वित्तीय वर्ष के दौरान एनसीएलटी में मामले दायर किए गए हैं। बैंक ने एनपीए खातों में शीघ्र समाधान एवं वसूली के लिए कई कदम उठाए हैं। कॉरपोरेट कार्यालय स्तर पर पृथक दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल बनाया गया है और छह महाप्रबंधकों को समाधान व वसूली के विशिष्ट अधिदेश के साथ फील्ड में पदस्थापित किया गया है।

बेहतर ग्राहक सेवा के लिए बैंक डिजीटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म का लाभ उठा रहा है। रुपे कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ओरियन्टल भीम के बढ़ते आधार के कारण बीबीपीएस के एकीकरण के द्वारा ग्राहक की सुविधा पर ध्यान केन्द्रित है। बैंक पहले ही रिटेल एवं एमएसएमई ग्राहकों के लिए ओरियन्टल लैंड स्मार्ट (ओएलएस) लागू कर चुका है। ओएलएस के माध्यम से ग्राहकों को प्रस्ताव की स्थिति की सूचना स्वचालित एसएमएस सुविधा द्वारा मिल जाती है। इस वर्ष के दौरान बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों को बिल भुनाने संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इण्डिया के साथ समझौता किया है।

आगे बढ़ते हुए बैंक का ध्यान आरएएम अग्रिमों के अंश को बढ़ाने, नए स्लीपेज को रोकने, एनपीए व टीडब्ल्यूओ खातों में समाधान और वसूली तथा बेहतर दक्षता व ग्राहक डिलीवरी के लिए डिजीटलीकरण का अधिकतम प्रयोग करने पर रहेगा।

बैंक ने एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस का क्रियान्वयन प्रारंभ किया है जिसका प्रयोग डाटा विश्लेषण और डाटा संग्रहण के लिए किया जाएगा।

निष्कर्ष टिप्पणी

मैं इस अवसर पर श्री देश दीपक खेत्रपाल, श्री अशोक कुमार शर्मा और श्री मदन मोहन लाल वर्मा का स्वागत करता हूं जो वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल में शेयरधारक गैर-कार्यकारी निदेशकों के रूप में जुड़े हैं।

मैं श्री अनिमेष चौहान (प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी), श्री राजकिरण राय जी. (कार्यकारी निदेशक) एवं श्री दिनेश कुमार अग्रवाल (शेयरधारक गैर-कार्यकारी निदेशक) द्वारा बैंक में दिए गए योगदान के लिए उनकी सराहना करता हूं, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान बैंक के निदेशक मण्डल से निदेशकों के रूप में कार्यमुक्त हुए हैं।

निदेशक मण्डल की ओर से और मेरी ओर से प्रबंधन और बैंक में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए मैं बैंक के शेयरधारकों को आत्मीय आभार व धन्यवाद देता हूं। मैं बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को उनकी लगन व समर्पण तथा हमारे ग्राहकों को उनकी सतत निष्ठा व संरक्षण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को उनके निरंतर मार्गदर्शन व सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं भविष्य में भी आपके निरंतर सहयोग एवं उत्साहवर्धन की अपेक्षा रखता हूं।

मुकेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Mantri Mudra Yojna, the bank has sanctioned 85240 accounts and has disbursed Rs 2341.18 crores in FY 2017-18. The bank has done 39.82 lakh enrolments in Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna and Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna. During the year the bank has opened 1,37,744 accounts of Atal Pension Yojna.

LOOKING FORWARD

During current FY 2018-19, the main focus shall be on the Resolution and Recovery of Non Performing Assets and to contain further slippages. The bank is expecting resolutions in the accounts where NCLT cases were filed during last FY. The bank has taken a number of steps for early resolution and recovery in NPA accounts. A separate Stressed Assets Management Vertical has been created at Corporate Office and Six General Managers have been posted in the field with exclusive mandate of Resolution and Recovery.

For better customer service, the bank is leveraging the Digital Banking Platforms. With the increased penetration of Rupay Cards, Mobile Banking, Internet Banking, Oriental BHIM, integration with BBPS the focus is on EASE for customer comfort. The bank has already implemented Oriental Lend Smart (OLS) for Retail and MSME customers. Through OLS the customers gets information about the status of proposal through automated sms facility. During this year the bank has tied up with Receivable Exchange of India to provide bill discounting facility to MSME customers.

Going Forward the focus areas for bank will be increasing share of RAM Advances, arresting fresh slippages, Resolution and Recovery in NPA and TWO accounts and optimum use of digitization for improving the efficiency and customer delivery.

The bank has started the implementation of Enterprise Data Warehouse which shall be utilized for data analytics and data mining.

CONCLUDING REMARKS

I would like to take this opportunity to welcome Sh. Desh Deepak Khetrapal, Sh. Ashok Kumar Sharma and Sh. Madan Mohan Lal Verma who joined as Shareholder Non-Executive Directors on the Board during the year.

I also appreciate the contribution of Sh. Animesh Chauhan (Managing Director & Chief Executive Officer), Sh. Rajkiran Rai G (Executive Director) and Sh. Dinesh Kumar Agrawal (Shareholder Non-Executive Director) who laid down office as Directors on the Board of the bank during FY17-18, for their valuable contributions to the bank.

On behalf of all the Board of Directors and on my own behalf, I convey my sincere gratitude and thanks to the Shareholders of the Bank for reposing their faith in the Management and Bank. I would like to use this occasion to thank every employee of OBC for their sincerity & dedication and our customers for their continuous loyalty and patronage. My sincere thanks and regards to the Ministry of Finance, Govt. of India and Reserve Bank of India for their continued guidance and support. I solicit your continued cooperation and encouragement in future also.

Mukesh Kumar Jain
Managing Director & Chief Executive Officer

निदेशक मंडल / Board of Directors

श्री मुकेश कुमार जैन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Sh. Mukesh Kumar Jain
Managing Director & CEO

श्री हिमांशु जोशी
कार्यकारी निदेशक
Sh. Himanshu Joshi
Executive Director

श्री प्रशांत गोयल
Sh. Prashant Goyal

श्री एस गणेश कुमार
Sh. S. Ganesh Kumar

श्री संजय कपूर
Sh. Sanjay Kapoor

श्रीमती माला श्रीवास्तव
Smt. Mala Srivastava

श्री देश दीपक खेत्रपाल
Sh. Desh Deepak Khetrapal

श्री अशोक कुमार शर्मा
Sh. Ashok Kumar Sharma

श्री मदन मोहन लाल वर्मा
Sh. Madan Mohan Lal Verma

शीर्ष प्रबंधन वर्ग / Top Management Team

श्री एस. के. गोयल
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Sh. S.K. Goyal
Chief Vigilance Officer

श्रीमती विद्यावती रूद्रा
Smt. Vidyavati Rudra

श्री नवलीन कुन्द्रा
Sh. Navleen Kundra

श्री चरणजीत सिंह
Sh. Charanjit Singh

श्री मनोज सक्सेना
Sh. Manoj Saxena

श्रीमती शशी जैन
Smt. Shashi Jain

श्री एस.सी.दास
Sh. S.C. Das

श्री पी.श्रीधर
Sh. P. Sreedhar

श्री एच.के. बत्रा
Sh. H.K. Batra

श्री प्रदीप चौहान
Sh. Pradeep Chauhan

श्री जितेन्द्र मोहन सिंह
Sh. Jitender Mohan Singh

श्री सुरेन्द्र सिंह
Sh. Surender Singh

श्री अश्वनी कुमार
Sh. Ashwani Kumar

श्री बी.जी. संधिबिग्रह
Sh. B.G. Sandhibigraha

श्री कुलदीप भल्ला
Sh. Kuldeep Bhalla

श्री एच.के. बांगा
Sh. H.K. Banga

श्री स्वरूप साहा
Sh. Swarup Saha

श्री बी.एस. जैतावत
Sh. B.S. Jaitawat

श्री बृजमोहन शर्मा
Sh. Brijmohan Sharma

श्री आशुतोष चौधरी
Sh. Ashutosh Choudhury

श्री सुकेश गुप्ता
Sh. Sukesh Gupta

श्री जोगिन्दर सिंह
Sh. Joginder Singh

श्री श्याम टंडन
Sh. Shyam Tandon

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स के शेयरधारकों की 24वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार 29 जून, 2018 को प्रातः 10:00 बजे भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ), निर्यात भवन, राव तुला राम मार्ग (आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल के सामने), नई दिल्ली-110057, में निम्नलिखित कारोबार संव्यवहार के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण कारोबार

मद सं. 1: "31 मार्च, 2018 को बैंक के तुलन पत्र, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ हानि खाते, इस अवधि के तुलन पत्र एवं खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा बैंक की कार्यप्रणाली और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं स्वीकार करना।''

विशेष कारोबार

मद सं. 2: एक विशेष संकल्प के रूप में, निम्नलिखित संकल्पों पर विचार करना और उचित समझे जाने पर आशोधन सहित या रहित पारित करना:

"संकल्प किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 (अब से "अधिनियम'' कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (अब से "योजना'' कहा जाएगा) के साथ पठित, ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (अब से "ओबीसी विनियम" कहा जाएगा), किसी संशोधन या उसका पुनराधिनियम सहित तथा भारत सरकार (GOI), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम (SEBI) या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय-समय पर यथा लागू तथा अनुमोदित, सहमत, अनुमत्य और स्वीकृत अन्य नियम / अधिसूचनाएं / परिपत्र / विनियमन / दिशा-निर्देश, यदि भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, सेबी तथा / या इस संबंध में यथापेक्षित प्राधिकारी में से कोई हो, जो कि ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स (बैंक) के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो, बैंक के शेयरधारकों द्वारा सहमत हो, अब बैंक के निदेशक मंडल से सहमत माना जाएगा तथा जो सेबी (पूंजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2009 अब से सेबी आईसीडीआर विनियम कहा जाएगा तथा यथासंशोधित सेबी (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 (अब से सेबी सूचीकरण विनियम कहा जाएगा) के अध्यधीन है, बैंक के शेयरधारकों को एतदद्वारा बैंक के निदेशक मण्डल (तत्पश्चात बोर्ड कहा गया है) जिसके अंतर्गत बोर्ड द्वारा गठित कोई भी शामिल समिति और तत्पश्चात शक्तियों का उपयोग करते हुए जिसमें संकल्प द्वारा निहित शक्तियां भी शामिल हैं, के अनुसार भारत या देश से बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन हेतु आरक्षण / या निर्गम के उस भाग हेतु प्रतिस्पर्धी आधार पर तथा व्यक्तियों पर लागू विधि मान्य वर्गों के लिए) ऑफर दस्तावेज़ / विवरणिका / और इसी प्रकार के किसी दस्तावेज़ द्वारा इक्विटी शेयरों की संख्या / और / या अधिमानी शेयर (आवर्ती हों या इक्विटी शेयर में परिवर्तनीय हों या न हों) जो समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हों, जिसमें अधिमानी शेयरों की श्रेणी को स्पष्ट किया गया हो, ऐसे अधिमानी शेयरों को प्रत्येक श्रेणी के निर्गम की सीमा, बेमियादी या प्रतिदेय, निर्गत होने वाले अधिमानी शेयरों की प्रत्येक श्रेणी की शर्तों या नियमों के अधीन जारी किए जा सकते हैं तथा अन्य अनुमत्य प्रतिभूतियां जो इक्विटी में परिवर्तनीय हैं या नहीं हैं को ₹3000 करोड़ (शेयर प्रीमियम सहित), अधिनियम की धारा 3(2क) के अनुसार अथवा संशोधन, यदि कोई हो, के अनुसार बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी के अंदर होगी, जिसे भविष्य में अधिनियम के अनुरूप बनाया जाएगा, इस प्रकार निर्गत कर सकता है कि (भारत सरकार के दिशानिर्देश के

NOTICE

Notice is hereby given that the 24th Annual General Meeting of the shareholders of Oriental Bank of Commerce will be held on Friday, 29th June 2018 at 10.00 a.m. at the Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg (Opposite Army Hospital Research & Referral), New Delhi-110057, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: "To discuss, approve and adopt the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2018, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2018, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts."

SPECIAL BUSINESS

Item No. 2: To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following resolution(s) as Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as "the Act"), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as "the Scheme"), Oriental Bank of Commerce (Shares and Meetings) Regulations 1998 (hereinafter referred to as "OBC Regulations") and all other applicable Acts/laws, including any amendment thereto or re-enactment thereof and other Rules/Notifications/Circulars/ Regulations/Guidelines if any prescribed by the Government of India (GOI), Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other relevant authority, from time to time to the extent applicable and subject to approvals, consents, permissions and sanctions, if any of RBI, GOI, SEBI and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of Oriental Bank of Commerce (the Bank), and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as the "SEBI ICDR Regulations") and SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (hereinafter referred to as "SEBI Listing Regulations") as amended upto date, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares and / or preference shares (whether cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not, may be issued for an amount not exceeding ₹3000 crore (including share premium) which together with the existing paid-up capital of the Bank will be within the ceiling of the Authorised Capital of the Bank as per section 3(2A) of the Act or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such manner that the Central

अनुसार) किसी भी समय केंद्रीय सरकार द्वारा बैंक को प्रदत्त पूंजी के 52% से कम नहीं होगी और अधिक भागों में हुंडी भुगतान या प्रीमियम बाजार मूल्य पर रहे जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कंपनियां, निजी और सार्वजनिक, निवेश संस्थान, समितियां, न्यास, शोध संस्थान, आहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेता (क्यूआईबी) जैसे कि विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई), बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर पूंजी निधि, विदेशी वेंचर पूंजी निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकारी या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी जो इक्विटी, अधिमानी शेयर / बैंकों की प्रतिभूति में विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपरोक्त में से किसी भी समूह में या जैसा कि बैंक द्वारा उचित पाया जाता है, में निवेश करने के लिए प्राधिकृत हैं।"

'यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन, अधि-आबंटन के विकल्प सहित अथवा इसके बिना सार्वजनिक निर्गम, राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा होगा और ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, स्थानन अथवा आबंटन, अधिनियम सेबी आईसीडीआर विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, या यथालागू किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य सभी मार्गनिर्देशों के अनुरूप होगा तथा ऐसे समय पर तथा ऐसे तरीकों तथा ऐसे नियम व शर्तों पर होगा जो मंडल अपने संपूर्ण विवेक से उचित समझे।"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को अपने सम्पूर्ण विवेक से मूल्यों के बारे में जैसा भी आवश्यक हो अग्रणी प्रबन्धकों तथा / हामीदारों तथा / अन्य सलाहकारों या कोई अन्य से सलाह करते हुए नियम व शर्तों के अधीन मूल्य / मूल्यों को इस प्रकार तय करने का प्राधिकार होगा जो सेबी आईसीडीआर विनियमों, अन्य विनियमों या कोई अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और मार्ग-निर्देशों के अनुसार होगा जिसके निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हो या नहीं भी हो सकते हैं (और ऐसे मूल्य को सेबी आईसीडीआर के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यथानिर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर तय नहीं किया जाएगा।)"

"**यह भी संकल्प किया जाता है कि** सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों, अधिनियम के प्रावधानों, ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स विनियम के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियम के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम 1999 के प्रावधानों तथा विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियम 2000 तथा सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डीआईपीपी) एवं ऐसे सभी आवश्यक प्राधिकारी (जिसे यहां सामूहिक रूप से "उपयुक्त प्राधिकारी" के रूप में कहा गया है) से प्राप्त आवश्यक अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं / या मंजूरी के अधीन, और ऐसी शर्तों के अधीन जो इनमें से किसी ने भी तय की हों जिसके अधीन अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं/या स्वीकृति (तत्पश्चात ओचित्यपूर्ण अनुमोदन के रूप में मान्य) के संबंध में, बोर्ड अपने सम्पूर्ण प्राधिकार से समय समय पर एक या अधिक भागों में निर्गम का इश्यू, ऑफर तथा आबंटन, इक्विटी शेयर या वारंट से इतर किसी भी प्रतिभूति जो बाद की तारीख में इक्विटी के साथ परिवर्तनीय या बदली जा सकती हों, इस प्रकार से निर्गत, प्रस्तावित व आबंटित कर सकता है, जिसमें बैंक में केंद्र सरकार का किसी भी समय इक्विटी कैपिटल 52% से कम न हो (भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार) और जो अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता, (क्यूआईबी) अर्हता प्राप्त संस्थागत संस्थान (क्यूआईपी), जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों में चैप्टर VIII में वर्णित है, प्लेसमेंट दस्तावेज़ के माध्यम से / या इस प्रकार का कोई दस्तावेज़ / वचन/परिपत्र / ज्ञापन द्वारा किसी ऐसे मूल्य, शर्त, नियम के अनुसार जिसे उस समय पर व्याप्त कानूनों के अनुरूप अन्य विधिमान्य प्रावधानों या सेबी आईसीडीआर के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया गया हो।"

Government shall at all times hold not less than 52% of the paid-up Equity capital of the Bank (as per the extant directive of Government of India), whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs") like Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/ other securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"**RESOLVED FURTHER THAT** such issue, offer or allotment shall be by way of Follow on Public Offer (FPO), Rights Issue, Qualified Institutions Placement, Private Placement or any other mode approved by GOI/RBI with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Act, the SEBI ICDR Regulations and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI ICDR Regulations, and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank (at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations)."

"**RESOLVED FURTHER THAT** in accordance with the provisions of the SEBI Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the OBC Regulations, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of SEBI, Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 52% of the equity capital of the Bank(as per the extant directive of Government of India), to Qualified Institutional Buyers (QIBs) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time."